



निमित्त ,

अधिशायी अभियंता (टी एण्ड सी),  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,  
हनुमानगढ़, राजस्थान।

विषय :- Diversion of 1.3407 ha fo forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV S/C  
SURATGARH- PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of Rajasthan Rajya  
Vidut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District - Sri Ganganagar , Rajasthan.

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्रांक 2491 दिनांक  
09.09.2024 एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर के पत्रांक 7330 दिनांक  
17.09.2024 ,

**PROPOSAL NO. FP/RJ/TRANS/300191/2017**

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत धारा 2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी।

अतः आप से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करावें।

1. उक्त प्रकरण में कार्य किस अवधि में करवाया गया है ?
2. उक्त कार्य के पारित बिल व माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. उक्त कार्य से संबंधित कनिष्ठ अभियंता, अधिशायी अभियंता व सहायक अभियंता के नाम एवं पता व वर्तमान पदस्थापन की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपलोड करावें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

  
(दिलीप सिंह राठौड़)  
उप वन संरक्षक  
श्रीगंगानगर